न्यायालय ए0एच0गौरी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर।

अपील सं0 11/2017

1– हीरालाल पुत्र
2– मेघराज पुत्र
3– डाली पुत्री
4– नारायण पुत्र
5– रामा देवी बेवा

} – लिछमणराम जाति ब्राहम्ण दियातरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर

– अपीलान्ट्स

बनाम

1– हडमानराम पुत्र श्री सोमाराम जाति ब्राह्मण निवासी दियातरा तहसील श्रीकोलायत, जिला बीकानेर
2– राजस्थान सरकार

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील बनाराजगी निर्णय विरूद्ध तहसीलदार राजस्व, कोलायत द्वारा मिसल संख्या 86/2014 दिनांक 25–07–2014 को एक तरफा तौर पर अपीलान्टगणों के पिता की खातेदारी कृषि भूमि का गलत तरीके से वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने का आदेश पारित करवाया बमुकाम मंसुखिया उपरोक्त आदेश व किये जाने अपील अपीलान्ट स्वीकार।

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री हरिराम विश्नोई, अभिभाषक, अपीलान्ट।
2. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. पेरोकार राज राज्य की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 14–03–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन विद्वान तहसीलदार राजस्व कोलायत हाल उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत की मिसल सं0 86/2014 आज्ञा दिनांक 25–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि क्षेत्राधिकार परिवर्तन के फलस्वरूप अदालतवाला को प्राप्त हुई अपीलाधीन आदेश जिसके द्वारा अपीलांटगण के पिता की खातेदारी कृषि भूमि का गलत तरीके स वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम नामांतरकरण दर्ज करवाने का आदेश पारित किया है, को अपास्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है।

2 संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रोही दियातरा के स्थित खसरा नम्बर 179 तादादी 55.03 बीघा व खसरा नं0 340/189 में 53 बीघा कुल 108.03 बीघा कृषि भूमि अपीलांटगणों के पिता के नाम खातेदारी की स्थित थीं। यह भूमि पहले अपीलांटगण के पिता व अब अपीलान्टगण काश्त करते आ रहे है।

3 अपीलान्टगण दो भाई है जिसमें अपीलान्ट स01 सन 2000 से कुछ वर्षो के अकाल की वजह से महाराष्ट् में प्राईवेट मजदूरी करने चला गया व अपीलान्ट स02 भी बीकानेर मे प्राईवेट मजदूरी करता था। अपीलान्टगणो का पिता भोला–भाला व उम्रदराज व्यक्ति था जिसे आखों से कम दिखता था। उसका नाजायत फायदा उठाते हुए रेस्पो0 स01 ने लक्ष्मणराम की आखें ठीक करवाने के बहाने तहसील मे एक वसीयत पंजीबद्व करवा ली इस प्रकार अपीलान्टगणो के पिता की उक्त वसीयत के आधार पर जो आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वो आदेश हर प्रकार से निरस्त योग्य है ।

4 रेस्पो0 स0 1 बहुत ही तेज तरार व राजस्व कर्मचारियो के साथ मिली भगत करता रहता है । इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए लक्ष्मणराम को कुछ भी नही बताते हुए वसीयत करवा ली व दिनांक 20.6.14 को अपालीन्टगणो के पिता लक्ष्मणराम की मृत्यु हो गई इसलिए अपीलांट अपने पिता के क्रियाक्रम में 12 दिन तक व्यस्त रहे इसका नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट अपने भतीजों से नाराज होकर अपने भाई के कियाकर्म शामिल न होकर उक्त गलत वसीयत के आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही के लिए मृत्यु के दूसरे दिन ही यानि 22.6.14 को पंजीयन अधिकारी ग्राम पंचायत दियातरा से छुट्टी के दिन यानि रविवार को रजिस्ट्रैशन करवाकर प्राप्त कर लिया वह दिनांक 27.6.14 को अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया मेरे भाई लक्ष्मणराम की मृत्यु 20. 6.14 को हो चुकी है। दिनांक 20.12.01 को खसरा नंबर 179 की 55.3 बीघा की वसीयत कर रखी हैं जिसके आधार पर नामान्तरकरण के आदेश फरमावें उस पर आफिस कानूनगो ने उसी दिन पृष्ठांकन रिर्पोट की कि रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र वसीयत फोटोकॉपी जमाबंदी प्रस्तुत करके निवेदन किया कि नामांतरकरण फरमावें जिस पर दिनांक 1.7.14 को पत्रावली संधारित करके समाचारपत्र मे विज्ञप्ति सार्वजनिक सूचनार्थ जारी होकर दिनांक 25.7.14 को पेश हों।

5 दिनांक 25.7.14 को एकतरफा तौर पर समाचार पत्र शामिल मिसल करके दो गवाहन का शपथ पत्र लेकर लिखते हुवे कि उक्त वसीयत अंतिम वसीयत हैं। वसीयत के आधार पर नामांतरकरण कर दर्ज करने का निर्णय पारित कर दिया। लक्ष्मण की मृत्यु के एक माह से पहले समस्त कार्यवाही संपन्न करवा ली। दैनिक समाचार पत्र की विज्ञप्ति दिनांक 1.7.14 को जारी करवा ली। लक्ष्मणराम का 12वां पूरा नही हुआ उससे पहले एक भाई ने अपनी कूटनीति से उक्त भूमि नाम करवा ली जो उक्त वसीयत के आदेश हर प्रकार से सन्हेहस्पद होने के कारण उक्त वसीयत के आधार पर जो नामांतरकरण कर जो आदेश पारित किया गया वह निरस्त फरमावें।

6 अपीलांटगण दो भाई एवं माता व दो बहिने कुल जाजय 5 वारिसान लक्ष्मणराम के हैं इसलिए लक्ष्मण उक्त भूमि मे किसी प्रकार का बहनों के साथ कोई विवाद न हो अपीलांटगणों के पक्ष मे दिनांक 28.4.14 को उप पंजीयक कोलायत के समक्ष अपनी समस्त कृषि भूमि ग्राम दियातरा के खसरा नं0 179 की 558.03 बीघा व खसरा नं0 340/189 की 53 बीघा व खसरा नम्बर 178/1 मे तादादी 13 बीघा 15 बिस्वा कुल 121 बीघा 18 बिस्वा बैहिस्सा बराबर मे अपीलांटगणों के नाम वसीयत निष्पादित कर दी व जो पुस्तक स0 3 जिल्द स0 121 मे पृष्ट स0 151 कम संख्या 2014000151 पर पजीबद्व किया व उक्त वसीयत के पैरा स0 3 मे लक्ष्मणराम ने यह अकिंत किया कि यह मेरी प्रथम व आखरी वसीयत नही की है। अगर होगी तो झूठी व बेअसर मानी जावेगी । इस वसीयतनामा का अमल दरामद मेरे मरणोपरान्त होगी । इस प्रकार इससे पूर्व यदि कोई वसीयत हुई है तो बेअसर है व प्रभाव शून्य है।उक्त पूर्व मे जारी वसीयत दिनांक 20.10.2001 से रेंस्पोडेन्ट स0 एक को कोई अधिकार उक्त कृषि भूमि पर हासिल नही होते है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा तौर पर जो निर्णय पारित किया है वो हर प्रकार से निरस्त योग्य है

7 लक्ष्मणराम द्वारा दिनांक 28.4.2014 को अपीलान्टगण स01 व 2 के पक्ष मे की गई वसीयत अन्तिम वसीयत है । वह उच्चतर न्यायालयो के अनेको निर्णयो मे यह प्रतिपादित किया गया है कि द्वितीय वसीयतकर्ता की अन्तिम इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। प्रथम या पूर्व की वसीयत कोई महत्व नही रखती सो इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी मे पारित निर्णय हर प्रकार से निरस्त योग्य है।

8 अपीलान्टगणो को उक्त अपने पिता की कृषि भूमि ग्राम दियातरा के ख0न0 179 तादादी 55.03 बीघा रेस्पो0 के नाम दर्ज होने की दिनांक 6.10.2015 से पूर्व कोई जानकारी नही थी उक्त दिनांक को अपीलान्ट द्वारा अपने पिता की खसरान0 179 व 340/189 की कृषि भूमि की जमाबन्दी तहसील से प्राप्त की , तब पता चला की कि ख0न0 179 की 55.03 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट नें जरिये वसीयत अपने नाम दिनांक 25.7.14 को ही दर्ज करवा ली तब अपीलान्ट ने दूसरे दिन दिनांक 7.10.15को नकल निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने वास्ते प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 15.10.15 को प्राप्त होने पर आज सर्वप्रथम जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है।

अत अपील अपीलान्ट श्रीमान् जी की सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.7.14 निरस्त फरमाया जाकर अपील स्वीकार फरवाई जावे ।

9 प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक एवं राज पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से मियाद अधिनियम की दफा 5 का जवाब व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दिवानी पेश किया गया जिसका औपचारिक जवाब अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया गया।

10 बहस अन्तिम सुनी गई। अपीलान्ट की ओर से बहस की गई कि ग्राम दियातरा की स्वअर्जित सम्पति की वसीयत भाई के पक्ष में दिनांक 20–12–2001 को पंजीबद्ध करवाई गई। दिनांक 20–06–2014 को मृत्यु होने के केवल सात दिवस में दिनांक 27–06–2014 को नामान्तरकरण का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। दिनांक 01–07–2014 को दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया। दिनांक 23–07–2014 तारीख पेशी भी उस दिन कोई एक्स पार्टी नहीं की गई बल्कि दिनांक 25–07–2014 को ऑर्डरशीट में दिनांक 23–07–2014 के स्थान पर कटिंग कर आदेश जारी कर दिये। वसीयत जिसके पक्ष में हुई है उसके बयान नहीं है। वसीयत अन्तिम नहीं है। उसके पश्चात एक वसीयत लिक्षमणराम ने अपने लडकों के नाम दिनांक 28–04–2014 को रजिस्टर्ड करवाई है जो अन्तिम है। वसीयत के लेखक के बयान नहीं है। नामान्तरकरण की जानकारी मिलते ही अपील पेश कर दी। अपील मियाद बाहर नहीं है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरटी 2002 पेज 53 प्रस्तुत की साथ ही वसीयत के संबंध में आरआरडी 2008 पेज 197, आरआरडी 2007 पेज 375 प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से लिखित बहस के अतिरिक्त कथन किया गया कि लिक्षमणराम हनुमानराम वगैरह तीन भाई थे। जब अप्रार्थी हनुमानराम नाबालिग था उस समय उसके पिता व भाई लिक्षमणराम ने उसके हिस्से की भूमि जो पैतृक सम्पति में उसका हिस्सा था विक्रय कर दी उसकी क्षतिपूर्ति में लिक्षमणराम ने यह वसीयत अप्रार्थी के हक में की थी तब से अप्रार्थी का कब्जा है। अपील 15–16 माह पश्चात विलम्ब से पेश की है जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में **आरएलडब्ल्यू (आरजे0)(2) 2006 पेज 873 डीबी (आरबी), आरआरडी 1964 पेज 338 बी (राज0उच्च न्यायालय), डब्ल्यू0एल0एन0 1984 पेज 520, आर0आर0डी0 1955 पेज 252 (आरबी) एवं डी0एन0जे0 1999 पेज 56** पेश की। साथ ही कथन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में की गई वसीयत का स्टाम्प स्वयं लिक्षमणराम ने क्रय किया तथा उप पंजीयक, कोलायत के यहां रजिस्टर्ड करवाई जबकि बाद वाली वसीयत लिक्षमणराम की बीमारी की हालत में उप पंजीयक, बीकानेर के यहां पंजीकृत करवाई। इसके एक माह बाद ही लिक्षमणराम की मृत्यु हो गई। वसीयत के गवाहान के बयान नामान्तरकरण करने से पूर्व तहसीलदार साहब ने लिये है। वसीयत की वैधता का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। नामान्तरकरण एक

फिक्सल कार्यवाही है। अप्रार्थी को कोई हक या अधिकार है तो नियमित वाद प्रस्तुत करें। वसीयत के नामान्तरकरण में कब्जा भी महत्वपूर्ण तथ्य है। तहसीलदार द्वारा की गई कब्जे की जांच में करीब 40 व्यक्तियों ने अप्रार्थी का कब्जा होना साबित किया है। अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2006 पेज 277, आरआरटी 2007 पेज 59 पेश की है। इसके अतिरिक्त कथन किया कि इसी रकबे के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में निगरानी जैरकार है।

अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष में वे पक्षकार नहीं थे तथा अपीलान्ट की ओर से अपील की इजाजत के लिये धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस हेतु आरआरटी 1993 पेज 45 की ओर ध्यान दिलाया गया। अपील पांच वारिसान की ओर से प्रस्तुत की गई तथा अपीलमीमो में व बहस में वसीयत जो कि दो व्यक्तियों के पक्ष में की जानी बताई है, के आधार पर नामान्तरकरण निरस्त करवाना चाहते है। इस प्रकार अपील में पक्षकारों का कुसंयोजन किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डरशीट में कांट–छांट के संबंध में अपीलमीमों में कोई उल्लेख नहीं किया है। अपीलमीमो से बाहर जाकर बहस की है। वसीयतग्रहीता के बयान आवश्यक नहीं है तथा वसीयत को खारिज करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

पुनः बहस करते हुए अपीलार्थी के वकील ने कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में कोई दावा नहीं है। वाद लम्बित नहीं हो, तो नामान्तरकरण की कार्यवाही रोकी नहीं जावेगी। अपीलमीमो में लिखा है कि अन्य कथन वरवक्त बहस पेश किये जायेंगें। अतः अपीलार्थी की ओर से अपील स्वीकार करने व अप्रार्थी की ओर से अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

11 हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. आया अपील मियाद बाहर है ?
2. आया अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था ?
3. आया एक से अधिक वसीयत होने की स्थिति में वसीयत की वैधता के संबंध में राजस्व न्यायालय निर्णय करने में सक्षम है ?
4. आया वारिसान एवं एक से अधिक वसीयत की उपस्थिति में पक्षकारों के हितों का निर्धारण होने से पूर्व नामान्तरकरण जैसी फिक्सल कार्यवाही के माध्यम से निर्णय किया जाना चाहिये ?

सर्वप्रथम मियाद के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत नजीरों पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश के संबंध में अपीलान्ट को ज्ञान रहा हो ऐसा प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ज्ञान के दिनांक से अपील मियाद में शुमार करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होते हुए भी अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के बिना प्रस्तुत करने के संबंध में पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नहीं होते हुए अपीलान्ट के द्वारा धारा 96 सीपीसी का कोई प्रार्थना पत्र भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जो कि कानूनन आज्ञा पर प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील संधारण योग्य नहीं रह जाती है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि अपील लिक्षमणराम के सभी वारिसान द्वारा प्रस्तुत की गई है जबकि अपील में उल्लेखित वसीयत दिनांक 28–04–2014 अपीलान्ट संख्या 1 व 2 (दो पुत्रों) के पक्ष में की गई है, का उल्लेख अपील के पैरा संख्या 6 व 7 में किया गया है

तथा उक्त वसीयत के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने की अपील की है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का स्टेण्ड स्पष्ट नहीं है कि वे वारिसान होने के नाते अपील प्रस्तुत कर रहे है या वसीयत के आधार पर कार्यवाही चाह रहे है जबकि अपीलाधीन आदेश के पश्चात तहसीलदार, कोलायत द्वारा वसीयत दिनांक 28–04–2014 के आधार पर जरिये मिसल नम्बर 96/2015 निर्णय दिनांक 25–06–2015 की पालना करने हेतु पटवारी हलका को पत्र क्रमांक 1280 दिनांक 25–06–2015 लिखा परन्तु बाद में जांच करवाई जाकर संशोधित आदेश क्रमांक 1127 दिनांक 27–05–2016 को जारी किये गये जिसमें अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में की गई वसीयत का उल्लेख किया गया है। उक्त जांच के दौरान लिये गये बयानों में ग्राम दियातरा के ख0नं0 179 जिन पर कब्जा काश्त व रहवासी ढाणी अप्रार्थी की होना बताया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी की ओर से माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत निगरानी आरटीए/7629/2016 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य एक नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसमें दिनांक 06–10–2016 को निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी की ओर से अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कि अभी विचाराधीन है तथा उक्त अपील में खारिज किये गये स्थगन प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की जो कि लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 12–07–2018 नियत है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण में नियमित वाद के विरूद्ध अपील विचाराधीन हो तथा एक से अधिक वसीयतों की वैधता से सम्बन्धित हो, तो नामान्तरकरण जो कि एक फिस्कल कार्यवाही है, के माध्यम से हकों का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है। वसीयतों की वैधता के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय की अधिकारिता होने व पक्षकारों के मध्य हकों का विनिश्चय नियमित राजस्व वाद के माध्यम से सम्भव होने के कारण अपील संधारण योग्य नहीं रह जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय प्रति वापस हों।

निर्णय आज दिनांक 14–03–2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर